न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी।

सत्र परीक्षण संख्या 820/2021

राज्य प्रति आशुतोष गौतम व अन्य।

आरोप

मैं, देवाशीष अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी आप अभियुक्तगण–

1. आशुतोष गौतम,
2. सोना देवी,
3. सिकन्दर

को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँः–

(1) यह कि दिनांक 08.07.2020 को समय लगभग 7.00 बजे आप लोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधि विरूद्ध जमाव गठित किया और बहद ग्राम महदेपुर थाना बड़ागॉव वाराणसी में उक्त विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बल प्रयोग व बलवा किया। आपलोगो का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

(2) यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोगो ने अपने अन्य छः साथियों के साथ के मिलकर लाठी डण्डा, रम्भा, फावड़ा, लोहे की राड से लैश होकर हत्या करने, व मार पीट कारित करने के आशय से अवैध समूह का गठन किया एंव बल या हिंसा का प्रयोग किया। इस प्रकार आपलोगो ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

(3) यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपलोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऐसे आशय व ज्ञान से रवि कुमार, सतीश कुमार, दिलीप कुमार, संतोष कुमार व अल्का देवी को जान से मारने की नीयत से मार पीट कर गम्भीर चोटे पहुचाई, यदि आपलोगो के द्वारा पहुचाई गयी चोटो के कारण उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती तो आपलोग आपराधिक मानव बध के दोषी होते, इस प्रकार आपलोगो का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

(4) यह कि उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर आपलोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुरारी राम को रम्भा फावड़ा, लोहे के राड व लाठी से मार पीट कर चोट पहुचायी जिसके कारण आयी चोटो से मुरारी राम की मृत्यु हो गयी। आप लोगो का यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 149 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

(5) यह कि आपलोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु वादी पक्ष के लोगो को मार पीट कर उपहति कारित की जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

(6) यह कि आपलोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर वादी पक्ष के संतोष कुमार व दिलीप कुमार को रम्भा फावड़ा, लोहे के राड व लाठी से मार कर गम्भीर चोटें स्वेच्छया पहुँचाई, जिससे उनकी अस्थी भंग हो गयी। एतद्द्वारा आपलोगो ने भा0द0वि0 की धारा 325 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

(7) यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपलोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा पक्ष को यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा करने पर वह

लोक शान्ति भंग करेंगे अपराध कारित करेंगे, अपमानित व प्रकोपित करने के उद्देश्य से गाली गुफ्ता दिया, तदनुसार आपलोगो ने भा0दं0सं0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

(8) यह कि आपलोगो ने अपने छः अन्य साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त तिथि समय व स्थान पर वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया। एतद्द्वारा आपलोगो ने भा0द0वि0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा आपलोगो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिये आपलोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक– 17.09.2021 ई0

(देवाशीष)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण किये जाने की मांग की।

दिनांक– 17.09.2021 ई0

(देवाशीष)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, वाराणसी।

सत्र परीक्षण संख्या 820 / 2021

राज्य प्रति आशुतोष गौतम व अन्य।

<u>17.09.2021</u>:–

आज यह सत्र परीक्षण पत्रावली प्रस्तुत हुई।

अभियुक्त आशुतोष गौतम मय अधिवक्ता तथा शेष अभियुक्तगण जेल से मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण को आरोपित किये जाने के विन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध का ब्योरेवार वर्णन करते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली साक्ष्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया कि वे किन–किन साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध करेगें।

बचाव पक्ष द्वारा भी आरोप रचना के सम्बन्ध में अपना तर्क प्रस्तुत किया गया।

पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त अभियुक्तगण आशुतोष गौतम, सोना देवी तथा सिकन्दर के विरूद्ध धारा 147, 148, 307 सपठित धारा 149, 302 सपठित धारा 149, 323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 का प्रथम दृष्ट्या अपराध उनके द्वारा कारित करने की उपधारणा किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में आरोप विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण को पढ़कर समझाया गया, उनके द्वारा आरोप स्वीकार नहीं किया गया तथा विचारण चाहा गया।

चूंकि अभियुक्तगण ने आरोप को स्वीकार नहीं किया है, इसलिये पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 30.09.2021 को प्रस्तुत हो।

आरोप–पत्र में उल्लिखित साक्षीगण जरिये सम्मन नियत दिनांक के लिये तलब किये जावें।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10,
वाराणसी।